


69



## न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.

/2017 पुनरीक्षण

III/गिरानी/अशोकनगर/भूरा/2017/6356

श्री मुकेश भार्गव कोठी  
द्वारा आज 28.12.17  
प्रस्तुत प्रारंभिक तर्क हेतु  
दिनांक 17-1-18 नियत।

न्यायालय मण्डल, म.प्र. ग्वालियर  
कलक ऑफ कोर्ट 28.12.17

1. रामस्वरूप पुत्र भंवरलाल
2. गंगाराम पुत्र कमल सिंह  
निवासीगण ग्राम करख्या तहसील शाढौरा  
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. पहलवान पुत्र बारेलाल  
निवासी ग्राम हिनोतिया खुर्द तहसील शाढौरा
2. ओमप्रकाश पुत्र बटुआ कोरी  
निवासी नई सराय रोड़ शाढौरा तह. शाढौरा  
जिला अशोकनगर
3. लटूरा पुत्र फतुआ चमार
4. प्रकाश पुत्र खचौरा
5. रेखा बाई पत्नी देवीलाल
6. भुरिया बाई बेवा कपूरा
7. फेलीराम पुत्र बुद्धा

कं. 3 ता 7 निवासीगण ग्राम करख्या  
तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर जिला अशोकनगर  
द्वारा प्र.कं. 45 अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक  
17.10.2017 के विरुद्ध म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा  
50 के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :-


3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- तीन/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/6354

रामस्वरूप आदि विरुद्ध पहलवान आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभियंताओं आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी , जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 45/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17/10/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 24/7/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य</p>	